संख्या- 4/2016/2932/30-3-15-10बी/2013-1

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ ख़ाँ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 14 जनवरी, 2016

विषय- प्रदेश के पूर्व निर्मित सम्भागीय परिवहन कार्यालय-मेरठ में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हाल के निर्माण हेतु द्वितीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक-2355ए/2015-17नजा0/2013, दिनॉक 02-12-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेरठ के पूर्व निर्मित कार्यालय भवन परिसर में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हाल के निर्माण हेतु निर्धारित धनराशि रू0 165.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-81/2676/30-3-14-10बी/2013-1, दिनॉक 13-11-2014 द्वारा जारी की गयी है। उक्त जारी की गयी धनराशि के सापेक्ष परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-जी 249ए/2014-17 नजारत/2013, दिनॉक 25-11-2014 द्वारा प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रू0 82.50 लाख कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी गयी। उक्त निर्माण कार्य की अनुमोदित संशोधित ड्राइंग के दिनॉक 10-03-2015 को प्राप्त होने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ, जिसके कारण कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध न करा पाने के दृष्टिगत द्वितीय किस्त की अवशेष धनराशि रू0 82.50 लाख वित्त विभाग को समर्पित की गयी है।

संभागीय परिवहन कार्यालय, मेरठ में सारथी हॉल के निर्माण की द्वितीय किस्त की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 82.50 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059 में अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
(2) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष को होगा।

(5) परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया जायेगा और इसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा और इस हेतु कोई पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(6) पूर्व निर्मित सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हाल के निर्माण के मानकीकरण एवं लागत सम्बन्धी शासनादेश संख्या-2011/30-3-13-10बी/2013टी0सी0, दिनॉक 13-09-2013 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूॅजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-सम्भागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुहम्मद अख़लाक़ ख़ॉ)
विशेष सचिव।

संख्या- 4/2016/2932(1)/30-3-2015, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मेरठ द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 द्वारा परिवहन आयुक्त।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।